

प्रकार :- नवरा

अज अदालत

उप तहसीलदार मुकाम बीकानेर

संस्कार .....

बनाम .....

किस्म मुकदमा एल आर एक्ट 1956 की धारा 91

प्रकरण सं० 23 सन 18

28.12.18

आज पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित पत्रावली निर्णय पर ली गयी।

## निर्णय

पटवारी हल्का इ.ह.ग.न. की रिपोर्ट पर ग्राम 1.H.S.M. में राजकीय भूमि अराजीराज पर निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन पर काश्तकार ने जवाब प्रस्तुत किया/प्रस्तुत करने में असफल रहा। संवत् 2075 में फसल रबी/खरीफ में ग्राम 1.H.S.M. में स्थित खसरा नं० 171/2, 171/10 किस्म तादादी 23.02 है०/बीघा 0.21 बिस्वा आराजीराज भूमि पर जिन्स .....की फसल काश्त कर अथवा आवासीय मकान/ बाडा/ वाणिज्यिक/ औद्योगिक प्रयोजनार्थ निर्माण कर श्री पुनम पुत्र नारायण जाति राज निवासी नारायण ने अतिचार किया। अप्रार्थी अपने इस अतिचार करने का विधिसम्मत अधिकार प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः श्री पुनम पुत्र नारायण जाति राज निवासी नारायण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

(ग्राम ..... में स्थित खसरा नं० ..... किस्म ..... तादादी .. है०/बीघा ..... बिस्वा आराजीराज भूमि पर जिन्स ..... की फसल को राजकीय फसल घोषित कर निरीक्षक भू अभिलेख ..... को निलामी हेतु आदेशित किया जाता है/यदि फसल उठा ली गई है तो कुन्ता नामा कर राशि वसूल कर खजाने राज जमा करवाई जावे।

## अथवा

ग्राम 1.H.S.M. में स्थित खसरा नं० 171/2, 171/10 किस्म ..... तादादी 23.02 है०/बीघा ..... बिस्वा आराजीराज भूमि पर आवासीय मकान / बाडा/ वाणिज्यिक/ औद्योगिक प्रयोजनार्थ निर्माण पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है तथा अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए श्रीमान जिला कलक्टर महो० बीकानेर से अनुमति प्राप्त करने हेतु लिखा जावे।)

राजस्थान भू राजस्व अधि० 1956 की धारा 91 के तहत भू राजस्व ..... अखरे रू० 5.755/- का पचास गुणा तावान अर्थात् रू० 228 (पूर्णांक में) मात्र अखरे रू० 1.117 मात्र की शास्ती लगायी जाती है। पटवारी हल्का इ.ह.ग.न. वसूल करें एवं तहसील राजस्व लेखाकार अपने अगिलेखों में उक्त रकम की मांग कायम करें।

निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया। बाद वसूली पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



(जयदीप मिट्टल)  
पीठासीन अधिकारी एवं  
उप तहसीलदार बीकानेर